



INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Stamping
 ACC Name: Purnima Kumar Jaiswal A
 ACC Certificate No: 1701 ACC address
 Tehsil: Sonar District: Gorakhpur
 Mobile: 9116554335, Email: 9116554335
 sheet 1 District: Sadar, Gorakhpur

Certificate No. : IN-UP01712352700816V
 Certificate Issued Date : 30-Aug-2023 01:45 PM
 Account Reference : NEWMPACC (SMY) up14187704 GORAKHPUR SADAR/ UP-GRK
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UP/UP1418770409015364470005V
 Purchased by : SARASWATI DEVI MAHAVIDYALAY KHADDA KUSHENAGAR
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) : Not Applicable
 First Party : SARASWATI DEVI MAHAVIDYALAY KHADDA KUSHENAGAR
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : SARASWATI DEVI MAHAVIDYALAY KHADDA KUSHENAGAR
 Stamp Duty Amount(₹s.) : 100 (One Hundred only)



Gripi Shanker Tripathi
 GRIPI SHANKER TRIPATHI
 NOTARY
 Commissioner, Gorakhpur

शापथ-पत्र

इस स्वेच्छानुबन्ध सूचे एवं पवन कुमार सूचे अन्तर्गत: अन्वेषक एवं संचालक कुल विद्यार्थी सूचे एन्ड्रोकेमन्स ट्रस्ट, जाम कजकपुर (निकट भागा चौगाही), पोस्ट-सातमण्डल, जिला-सोरोखपुर पिन कोड 273016 सत्यपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक देवी म्हाविद्यालय खड़डा बानार, कुशीनगर नामक जिलेकी इन फरमेशी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे ट्रस्ट के नाम खड़डा बानार, कुशीनगर में गाटा संख्या 481 एवं 2.5 एकड़ कुल रकबा एवं 1.01 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी संचालन में नहीं चल रहा है, और भूमि विकसित नहीं है।
4. यह कि उरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम अन्वेषक भूमि को गाटा संख्या 481 एवं 2.5 एकड़ कुल रकबा एवं 1.01 हेक्टेयर पर उरोक्त नाम की जिलेकी स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 09.09.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित जिलेकी फरमेशी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फरमेशी कार्टूनल और इण्डिया चर्च दिल्ली के निपत्तों के अंतर्गत ही जिलेकी फरमेशी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में फरमेशी कार्टूनल और इण्डिया चर्च दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षण परीषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रवेशानुबन्ध प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फरमेशी कार्टूनल और इण्डिया चर्च दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षण परीषद्, 2020 सञ्चालक से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अभिहित किसी अन्य परीषद्, निरीक्षणानुबन्ध द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ प्राण/ म्हाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में काफी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान को संचालन हेतु आवश्यक कर्मास कर्म, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयाओं आदि को फरमेशी कार्टूनल और इण्डिया चर्च दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षण परीषद् के प्राणों से अनुबन्ध ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अर्थशिक्षण प्रमाणों के तहत ट्रस्ट द्वारा सन् प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि सामन/परीषद् द्वारा निर्मित निर्देशों/अदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि से संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाये तो परीषद् की निरीक्षण एवं सम्बद्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं पूर्ण मान्य होगा। इस हेतु से एका कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि ये गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, सूटारहित अथवा मुदिरपूर्ण पाये जायें तो मेरे विरुद्ध परीषद् द्वारा निवमानुसार कार्रवाई संभव कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही से मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।


80 सचिव


80 अध्यक्ष

